

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2769]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 01, 1937

No. 2769]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSHA 01, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3489(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यालय, जिसके 80 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है:

1. अपर महानिदेशक (प.क्षे.) का कार्यालय, केलोनिवि, मुम्बई
2. कार्यालय अपर महानिदेशक (प.क्षे.II), केलोनिवि, भोपाल, मध्य प्रदेश
3. वैद्युत मंडल सं. 9, केलोनिवि, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

[फा. सं. ई-11017/5/2013- हिन्दी]

धर्मेन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2015

S.O. 3489(E).—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notified the following offices of the Central Public Works Department, Ministry of Urban Development, where more than 80% of officers/employees have attained working knowledge of Hindi :

1. O/o Additional DG (W.R.), CPWD, Mumbai
2. O/o Additional DG (W.R.)-II, CPWD, Bhopal, Madhya Pradesh
3. Electrical Division-9, CPWD, R. K. Puram, New Delhi.

[F. No. E-11017/5/2013-Hindi]

DHARMENDRA, Jt. Secy.

5383GI/2015